न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 83/2019

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1– चन्दाराम पुत्र श्री हकमाराम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार

2– प्रकाश कमार पुत्र श्री हकमाराम सिरोही

सभी जाति घांची आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी नून तहसील व जिला सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री कैलाश नामा

2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 6-01-2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे दि 25–11–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिताजी के स्वामित्व की आराजी ग्राम नून पटवार हल्का फुंगणी तहसील जिला सिरोही मे आई हुई है जिसके खसरानंबर 1127, 403,39 , 46, 262, 631, 632, 1472/ 839, 1482/920, 1476/839, 1477/839, 1480/822, 1484/843, 1485/843, 821, 838, 840, 842 है व नया खाता संख्या 272, 271, 273, 416, 463, 137 है। प्रार्थीगण के पिताकिजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम से जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई है। राजस्व भू अभिलेख रेकर्ड जमाबंदीमे प्रार्थीगण के घर का नाम "चंदीया पुत्र हकमीया" तथा "प्रकाश पुत्र हकमीया" दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण का सम्मानजनक नाम "चन्दाराम पुत्र हकमाजी" तथा "प्रकाश कुमार पुत्र हकमारामजी " है। प्रार्थीगण का उक्तानुसार सम्मानजनक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को लोन लेने मे,सरकार की कृषि बीमा राशि प्राप्त करने मे इत्यादि परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि है। प्रार्थीगण के आधारकार्ड,राशनकार्ड व स्कूल सर्टीफिकेट मे प्रार्थीगण का नाम "चन्दाराम पुत्र हकमाजी" व "प्रकाश कुमार पुत्र हकमारामजी" दर्ज है,जो की सही नाम है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी मे "चंदीया पुत्रहकमीया " की जगह "चन्दाराम पुत्र हकमाजी " व प्रकाश पुत्र हकमीयॉ" की जगह "प्रकाश कुमार पुत्र हकमारामजी"दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित टी.सी.चंदाराम की आधार कार्ड,वोटर आई.डी. राशनकार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र प्रकाश,आधारकार्ड,राशनकार्ड जमाबंदी मोजा नून संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 137, 463,416,273,271,272 की प्रतियॉ म्यूटेशन नून म्युटेशन नंबर 2047,2050 की प्रतियॉ इत्यादि दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 25–11–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 6–1–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे यह कथन किया है कि मौजा नून के जमाबंदी खाता संख्या 272,271,273,416,463,एवं 137 मे खातेदार का नाम चंदिया पुत्र हकमीया एवं प्रकाश पुत्र हकमाजी नाम दर्ज है। प्रार्थी उक्त नामों को सम्मानजनक नाम चंदाराम पुत्र हकमाजी एवं प्रकाशकुमार पुत्र हकमाराम करवाना चाहते है। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा आधारकार्ड,राशनकार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिसमे सम्मानजनक नाम सही दर्ज है। अतः उपरोक्त खातेदारान के नाम चंदाराम पुत्र हकमाराम एवं प्रकाश कुमार पुत्र हकमाराम राजस्व रेकर्ड मे संशोधन करना उचित है।

इस न्यायालय मे दिनांक 6–1–2020 को दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित टी.सी. चंदाराम की आधार कार्ड,वोटर आई.डी. राशनकार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र प्रकाश,आधारकार्ड,राशनकार्ड जमाबंदी मोजा नून संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 137, 463,416,273,271,272 की प्रतियॉ म्यूटेशन नून म्युटेशन नंबर 2047,2050 की प्रतियॉ का गहनापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे प्रार्थी द्वारा आधारकार्ड,राशनकार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)

Continue Page

है। जिसमे सम्मानजनक नाम सही दर्ज है। अतः उपरोक्त खातेदारान के नाम चंदाराम पुत्र हकमाराम एवं प्रकाश कुमार पुत्र हकमाराम राजस्व रेकर्ड मे संशोधन करना उचित बताया है। तथा पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा आधारकार्ड,राशनकार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिसमे सम्मानजनक नाम सही दर्ज है। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अशुद्व "चंदीया पुत्र हकमीया " की जगह "चन्दाराम पुत्र हकमाराम " व प्रकाश पुत्र हकमीयॉ" की जगह "प्रकाश कुमार पुत्र हकमाराम" सम्मानजनक नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा राजस्व विभाग राज.जयपुर के भी निर्देश है कि राजस्व रेकर्ड मे खातेदार का सम्मानजनक नाम दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण के उक्त अशुद्व नाम की जगह सम्मानजनक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करना लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थीगण को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। राजकीय योजनाओं का लाभ ,बैक लोन व अनुदान राशि प्राप्त करने मे कानूनी बाधाऐ पैदा नही हो इसको मध्यनजर रखते हुये : उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के पिताजी के स्वामित्व की आराजी ग्राम नून पटवार हल्का फुंगणी तहसील जिला सिरोही मे आई हुई है। जिसके खसरानंबर 1127, 403, 39, 46, 262, 631, 632, 1472/839, 1482/920, 1476/839, 1477/839, 1480/822, 1484/843, 1485/843, 821, 838, 840, 842 है व नया खाता संख्या 272, 271, 273, 416, 463, 137 है। वर्तमान जमाबंदी मे "चंदीया पुत्र हकमीया" की जगह "चन्दाराम पुत्र हकमाराम "व "प्रकाश पुत्र हकमीया" की जगह "प्रकाश कुमार पुत्र हकमाराम" सम्मानजनक नाम दुरूरूत/दर्ज कर अपडेट कर पालना रिर्पोट शीघ्र पेश करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 6–1–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.07 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: